

दिनांक
हुक्म

कार्यवाही

09.1.18

पत्रावली पेश हुई। प्राथमिक और उंचे अधिवक्ता
 उपस्थित आये। न्यायालय समय में बार-बार बाबाजे
 लक्ष्मी गयी फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुई। हमने
 पत्रावली का अखलोकत विषय। पत्रावली शुरू से ही
 तलबी में है। सभाक सदस्यतामूलक व अपर तालीन न होने
 से न्यायालय द्वारा प्राथमिक को शकित विषय गणा कि
 कुछ समयतलबाना पेश करे पल्लु 4 वर्ष व्यतीत हो
 जाने के बावजूद भी न्यायालय के शकितों की पालना
 प्राथमिक समय प्रदात किसे मागे घर भी गयी की गयी।
 इससे जाहिर होता है कि प्राथमिक ने शकितों की शकितों
 करने के साथ-साथ न्यायालय का समय भी जाया
 किया है। अतः न्यायालय प्राथमिक को शकित
 शकित 9 निम्न 3 व 5 सी.पी.सी. जारी कराना
 उचित समझता है। प्राथमिक अवरिज किया जाता है।
 पत्रावली के तल मुद्दा हो गहरा है नप नी जानी
 सफर दाखिल हो। पुत्रा गणा

18/1/18
 (18/1/18)

